राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

सं. ऐफ 2(1)डीओपी/ए–II/2014 जयपुर, दिनांक : 3.3.2015

1 समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
2 समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर्स सहित)

परिपत्र

कार्मिक (क–2) विभाग द्वारा पूर्व में जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 17.07.2014 एवं 9.10.2014 के द्वारा सभी विभागों को इस क्षेत्र के रिक्त पदों को भरने हेतु निम्न निर्देश प्रदान किये गये हैं :–

1 उक्त नवीन नियम, 2014 के नियम 6 के उप नियम(3) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार विभिन्न विभागों के अधीन विनिर्दिष्ट क्षेत्र में सृजित पदों पर कार्यरत/पदस्थापित अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा के सभी कर्मचारियों से उनके नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा उन्हें सूचित किये जाने की तिथि से 1 माह की अवधि के भीतर इस आशय का विकल्प पत्र लिया जावे कि वे भविष्य में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के अन्तर्गत ही कार्यरत रहना चाहते है अथवा विनिर्दिष्ट क्षेत्र के बाहर कार्य करना चाहते हैं। यह कार्य समुचित प्रचार–प्रसार उपरान्त 1 माह में पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

2 राज्य के विनिर्दिष्ट क्षेत्र में कार्यरत अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा के जो कर्मचारी उपरोक्तानुसार विनिर्दिष्ट क्षेत्र से बाहर जाने का विकल्प पत्र देते हैं ऐसे कार्मिकों के स्थान पर वैकल्पिक कर्मचारी के कार्यभार ग्रहण कर लेने तक उनका स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति विनिर्दिष्ट क्षेत्र के बाहर नहीं की जावे। जो कर्मचारी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में रहने का विकल्प देते हैं उनका कभी भी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के बाहर स्थानान्तरण/पदस्थापन नहीं किया जायेगा।

3 जो कार्मिक अन्य जिले में पदस्थापित है तथा अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापन चाहते हैं उनसे इस बाबत प्रार्थना–पत्र लिया जाकर प्राथमिकता से अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापित किया जावे।

4 इस परिपत्र को विभाग में लागू करने हेतु सभी विभाग एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे, जो कि इस प्रक्रिया को पूर्ण करना सुनिश्चित करेगा। उपरोक्तानुसार नियुक्त किये गये नोडल अधिकारी का पूर्ण विवरण आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को भिजवाया जाये, जो कि उक्त नियमों के परिपेक्ष्य में विभिन्न सेवाओं द्वारा की गई नियुक्तियां/पदस्थापन की प्रभावी मोनेटरिंग करेंगे।

5 आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर इस परिपत्र की समस्त विभागों में अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षणीय अधिकारी होंगे। वे समय–समय पर राज्य सरकार को इस बारे में प्रगति से अवगत करायेंगे।

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि उक्त निर्देशों की अनुपालना में अनुसूचित क्षेत्र में अभी तक केवल 18 विभागों के अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों में से 38,824 कर्मचारियों से ही विकल्प प्राप्त हुए हैं। **जिसकी सूचना संलग्न है।** यह स्थिति किसी रुप में संतोषजनक नहीं मानी जा सकती।

अतः सभी नियुक्ति प्राधिकारियों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि विकल्प पत्र भरवाने से संबंधित अवशेष कार्यवाही शीघ्र संपन्न करना सुनिश्चित करें। प्राप्त विकल्प पत्रों के आधार पर स्थानान्तरण करते समय ऐसे आवेदन पत्रों का प्राथमिकता से निस्तारण करें, जिसमें कार्मिक द्वारा गैर अनुसूचित क्षेत्र से अनुसूचित क्षेत्र में स्थानान्तरण चाहे गये हैं । अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत एवं क्षेत्र के बाहर स्थानान्तरण चाहने वाले कार्मिकों का स्थानान्तरण तभी किया जावे जब उनके स्थान पर अन्य कार्मिक का पदस्थापन कर दिया जावे तथा क्षेत्र की उस पद की सभी रिक्तियाँ भर जावें।

सभी संबंधित नियुक्ति प्राधिकारियों को व्यादिष्ट किया जाता है कि कृपया उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराने की व्यवस्था करें।

(सी.एस. राजन)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2 सचिव–I/II, मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार।
3 उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4 सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
5 सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6 सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
7 महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
8 आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
9 पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
10 रक्षित पत्रावली।

(आलोक गुप्ता)
शासन सचिव

5/2015